

अंचल कार्यालय, पाकुड़।

(आदेश-पत्रक)

दिनांक 12.06.2023 से 24/8/2023 तक

केस का प्रकार :- राजस्व विविध वाद संख्या-01/2023-24 (मुखिया सिंधी पंचायत एवं सम्पूर्ण सिंधी समाज बनाम प्रवेश कुमार लखमानी एवं अन्य)

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (01)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
01	02	03
24/8/23	आदेश इस राजस्व विविध वाद की कार्यवाही सिंधी पंचायत, पाकुड़ से प्राप्त आवेदन पर प्रारंभ की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मौजा-पाकुड़ के दाग संख्या-2550 एवं 2552 की भूमि, जिस पर हिरदुमल मेमोरियल पब्लिक स्कूल एवं सामुदायिक पंचायत भवन/धर्मशाला अवस्थित है, को कुछ रैयतों के द्वारा बेचे जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त आवेदन पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व अभिलेख एवं स्थलीय जॉच के आधार पर विस्तृत जॉच करायी गयी। जॉचोपरान्त इनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार :- मौजा-पाकुड़ की खाता संख्या-31 के अन्तर्गत दाग संख्या-2552, रकवा-04बी0-13क0-15धूर भूमि एवं दाग संख्या-2550 के रकवा-02बी0-07क0-04धू0 भूमि, जो सर्वे खतियान में खतियानी रैयत क्रमशः इस्माईल शेख, आदि शेख, पिता-जफर शेख, सा0-अंजना तथा महमूद इयासिंग, महमूद इमाकुल, पिता-अली हुसैन मियों के नाम से दर्ज है। उपरोक्त अंकित भूमि का किस्म "धानी सेम" है। राजस्व अभिलेख पंजी-11 के होल्डिंग संख्या-846/362 में उक्त दाग संख्या-2549 के रकवा-00बी0-07क0-05धू0 एवं दाग संख्या-2552 के रकवा-03बी0-12क0-18धूर भूमि सेठ हिरदुमल वगैरह, पिता-जियाल मल के नाम से दर्ज है। पुनः होल्डिंग संख्या-565/81 में उक्त दाग संख्या-2550, रकवा-02बी0-07क0-04धूर भूमि होल्डिंग रैयत सेठ हिरदुमल वगैरह, पिता-जियाल मल, सा0-सिंधीपाड़ा के नाम से दर्ज है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि स्थलीय जॉच के क्रम में दाग संख्या-2552 के आंशिक रकवा पर स्व0 हिरदुमल मेमोरियल पब्लिक स्कूल एवं दाग संख्या-2552 एवं 2550 के आंशिक रकवा पर सिंधी धर्मशाला का मकान निर्मित है एवं दाग संख्या-2550 का रकवा चाहर दिवारी से घेरा हुआ है। प्रतिवेदनानुसार सेठ हिरदुमल के पौत्र-1. श्री प्रवेश कुमार लखमानी, 2. श्री ब्रजेश लखमानी, दोनों के पिता-स्व0 पूरन कुमार लखमानी एवं 3. श्री अजय लखमानी, पिता-श्री अरुण कुमार लखमानी, सा0-सिंधीपाड़ा, पाकुड़ जिला-पाकुड़ के द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि परिवादी/आवेदकगण के द्वारा उपरोक्त भूमि पर दखल-कब्जा एवं पाकुड़ नगरपालिका को दिये जा रहे होल्डिंग टैक्स के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं। जॉच के क्रम में प्रवेश कुमार लखमानी के प्रबंधक-श्री अनुप कुमार मध्यायन द्वारा बताया गया कि दाग संख्या-2556 एवं 2552 की भूमि की बिक्री की गयी है, जो कि इनके सेठ प्रवेश कुमार लखमानी के दखल-कब्जे में वर्षों से है एवं चाहर दिवारी के अन्दर अवस्थित है तथा संबंधित भूमि पारिवारिक बंटननामा के माध्यम से प्रवेश कुमार लखमानी को प्राप्त है। संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा सेठ हिरदुमल के पौत्र एवं सिंधी पंचायत के प्रबंधक को नोटिस निर्गत कर उनसे राजस्व संबंधित दस्तावेज की मांग कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गयी। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विषयगत भूमि के होल्डिंग रैयत सेठ हिरदुमल के पौत्रगण एवं मुखिया सिंधी पंचायत, सिंधीपाड़ा, पाकुड़ को अपने-अपने पक्ष से संबंधित कागजातों के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों को उभय पक्षों/उनके द्वारा मनोनित/प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा गया। सिंधी पंचायत के तरफ से उदय लखमानी (मुखिया), प्रेम चन्द्र गंगवानी, जी0एल0	

(हस्ताक्षर)